

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-23/09/2026

विषय:- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा Liquid Oxygen की जा रही आपूर्ति के विरुद्ध समर्पित किये जाने वाले विपत्र के भुगतान हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु० 1,50,32,192/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख बत्तीस हजार एक सौ बेरानवे) मात्र की राशि की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-24(10), दिनांक-30.04.2021 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-50 के तहत राज्य के 09 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के लिए Liquid Oxygen की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु Linde India Ltd. Kolkata के साथ निगम द्वारा किये गये एकरारनामा के आलोक में Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा सभी 10 (दस) स्वास्थ्य संस्थानों में Cryogenic Tank का अधिष्ठापन कर Liquid Oxygen की आपूर्ति की जा रही है। प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का पत्रांक-3239 दिनांक-30.07.2026 द्वारा Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा Liquid Oxygen की जा रही आपूर्ति के विरुद्ध समर्पित किये जाने वाले विपत्र का भुगतान हेतु रु० 13,00,00,000/- (रुपये तेरह करोड़) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- प्राप्त अनुरोध के आलोक में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा Liquid Oxygen की जा रही आपूर्ति के विरुद्ध समर्पित किये जाने वाले विपत्र के भुगतान हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु० 1,50,32,192/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख बत्तीस हजार एक सौ बेरानवे) मात्र की राशि की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0017-इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड-20-2210051050017 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0017-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PBBPLA003 विपत्र कोड-00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID में उपलब्ध करायेंगे एवं निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा संस्थान में Liquid Oxygen की जा रही आपूर्ति के विरुद्ध उक्त राशि बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के खाते में उपलब्ध करायेंगे।

6- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना इस राशि का व्यय कर ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे एवं संस्थान द्वारा पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार/विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे एवं राशि का भुगतान संबंधी मामले की सम्पूर्ण जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना होगी।

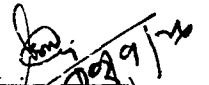
7- यह व्ययादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि०(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि०(2) दिनांक-27.11.2007 96/वि०(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि०(2) दिनांक-09.04.2010 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8- इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

9- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 7/बजट-46-15/2021 के पृष्ठ-84/टि० पर प्राप्त है।

10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन,


(श्री प्रदीप)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-7/बजट-46-15/2021-380(78)/स्वा०,पटना, दिनांक-23/09/2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतासपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी— 7बी/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3807B1
23/09/2026

23/09/26,
सरकार के अप्त सचिव
Hand